

7808 कार्यालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून
संख्या- /रा0प0-त0ना0त0-3- /स्था0पद0/2013, दिनांक 27 जनवरी, 2014
आदेश

राजस्व विभाग अन्तर्गत नायब तहसीलदारों के अधिकांश पद रिक्त होने से व लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति कोटे की रिक्तियों के सापेक्ष नियमित पदोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया में संभावित बिलम्ब को दृष्टिगत रखते हुये शासनादेश संख्या-54/XVIII (1)/2013-3(58)/09 दिनांक 9.01.2013 से प्रदत्त निर्देशों के आलोक में नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर स्थानापन्न/तदर्थ प्रोन्नति हेतु राजस्व परिषद स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति दिनांक 27.01.2014 के क्रम में रजिस्ट्रार कानूनगो संवर्ग से निम्न रजिस्ट्रार कानूनगो को आगामी एक वर्ष अथवा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती/पदोन्नति के अन्तर्गत नियमित चयन होने, जो भी पहले हो, तक के लिये नायब तहसीलदार के पद पर स्थानापन्न/तदर्थ रूप से पदोन्नत किया जाता है। यह तदर्थ प्रोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से ही प्रभावी होगी। इन कार्मिकों की तैनाती उनके सम्मुख अंकित जनपद एवं मण्डलों में की जाती है:-

क्र०सं०	रजिस्ट्रार कानूनगो का नाम	वर्तमान तैनाती का जनपद	तदर्थ प्रोन्नति उपरान्त तैनाती का जनपद एवं मण्डल
1.	श्री कुँवर सिंह भण्डारी	पिथौरागढ़	उधमसिंहनगर, कुमाँयू मण्डल
2.	श्री जीवनसिंह चौहान	पिथौरागढ़	उधमसिंहनगर, कुमाँयू मण्डल
3.	श्री पूरन सिंह बोरा	चम्पावत	चम्पावत, कुमाँयू मण्डल
4.	श्री हरीशचन्द्र मुरारी	पिथौरागढ़	उधमसिंहनगर, कुमाँयू मण्डल


श्री पूरणसिंह बोरा के दिनांक 31.01.2014 को अधिवर्षता आयुपूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति के दृष्टिगत उनकी तैनाती वर्तमान कार्यरत जनपद चम्पावत में की जा रही है। उनका वेतन जनपद में तहसीलदार अथवा सहायक भूलेख अधिकारी के रिक्त पद के सापेक्ष आहरित होगा।

1. यह प्रोन्नतियां नितान्त अस्थाई है तथा कभी भी बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती है।
2. यदि उपरोक्त कार्मिकों के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होता है, जो कि उनकी तदर्थ प्रोन्नति को प्रभावित कर सकता है, तो उनकी उक्त तदर्थ प्रोन्नति निरस्त मानी जायेगी है।

एस0के0मुद्दू
अध्यक्ष
राजस्व परिषद

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
 2. आयुक्त कुमाँयू मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
 3. सम्बन्धित जिलाधिकारी ।
 4. सम्बन्धित कार्मिक।
 5. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


(पी0एस0जंगपांगी)
आयुक्त एवं सचिव